

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारी: सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस
राजस्व आवेदन संख्या:-190 / 2024

प्रार्थीगण:-

1. धर्मराम पुत्र मगनाराम जाति कलबी चौधरी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. गोबरराम पुत्र मगनाराम जाति कलबी चौधरी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. भगाराम पुत्र मगनाराम जाति कलबी चौधरी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. तेजाराम गोदपुत्र गिलाराम जाति कलबी चौधरी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. मांगीलाल पुत्र सवाराम जाति कलबी चौधरी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. पारस पटेल पुत्र नेमाराम जाति कलबी चौधरी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. हनुमानाराम पुत्र नेमाराम जाति कलबी चौधरी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :-

श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थीगण

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 07-08-2025



संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 638 रकबा 01.5934 हैक्टियर ग्राम जेठन्तरी तहसील समदडी में अवस्थित है। वक्त सेटलमेन्ट से प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी तथा उनके पश्चात प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा कश्त है। उक्त सेटलमेन्ट शीट सवन्त 2009 मे विवादित भूमि खसरा संख्या 638 का नक्शा खसरा संख्या 637 के उत्तरी तरफ दर्शाया गया है वक्त सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों द्वारा वक्त सेटलमेन्ट शीट के अनुसार नक्शा ट्रेस में इन्द्राज करने के दौरान पूर्व सेटलमेन्ट शीट के अनुसार इन्द्राज न कर खसरा संख्या 637 के बदिशा दक्षिण में दर्शा दिया है विवादित भूमि का नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त तरमीम में सहवन से पूर्व में हुए

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

नक्शा तरमीम से करीब 200 मीटर बदिशा दक्षिण की तरफ दर्शाकर तरमीम कर दी गई है। उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरुस्ती हेतु प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी ने जरिये पत्र क्रमांक-भू.अ./2025/1943 दिनांक 03.07.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार तहसील समदडी में उपलब्ध नक्शा परिशिष्ट "बी" ऑनलाईन नक्शा नकल परिशिष्ट "ए" तथा हल्का पटवारी के पास उपलब्ध आनलाईन शीट की नकल परिशिष्ट "सी" इन तीनों नकलों में दर्शित खसरा संख्या 638 सही है, उक्त तीनों नक्शों में कोई भिन्नता नहीं है, खसरा संख्या 638 का ऑनलाईन अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उक्त खसरे का रकबा ज्यादा है, किन्तु नक्शों में उक्त खसरा छोटा दर्शाया गया है जो कि जमाबंदी व नक्शा से मेल नहीं खाता है तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन नक्शों में त्रुटि हुई है उक्त त्रुटि को दुरुस्त किये जाने से पडौसी खसरे खसरा संख्या 626, 637, 639 व 640 के रकबों में तथा विवादित खसरे के रकबों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तहसीलदार समदडी ने मौका रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि प्रार्थीगण का कब्जे मौके पर परिशिष्ट "डी" अनुसार है तथा उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम को परिशिष्ट "डी" अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित बताया है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 638 की पूर्व की तरमीम को निरस्त किया जाकर मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "डी" अनुसार दुरुस्त किया जाने के आदेश दिया जाता है, तहसीलदार समदडी तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट क्रमांक-भू.अ./2025/1943 दिनांक 03.07.2025 के संलग्न परिशिष्ट "डी" इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


आदेश आज दिनांक 07.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)



पार्षद "D"

आशोक नरेश (किसान)
 मोजा - जे 638 (लमणी)
 पैसा 1.4000



रूपखण्ड अधिकारी
 सिवाना (बालोतरा)

संकेत

- ① जसाकिर बत 638 
- ② बत 638 का  हाता

23/07/2024
 प. जेठानी

22/7/24
 1/1/2024